



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
ORIENTAL BANK OF COMMERCE

सूचना 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक
Notice for 20th Annual General Meeting

नई दिल्ली में गुरुवार 19 जून, 2014 को प्रातः 10:00 बजे
Thursday, 19th June 2014 at 10.00 a.m at New Delhi

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon – 122001



विषय सूची

सूचना	3
टिप्पणियां	4
स्पष्टीकरण टिप्पणी	5
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र	8

CONTENTS

Notice	10
Notes	11
Explanatory Statement	12
Attendance Slip & Entry pass	15

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार 19 जून, 2014 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 को निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय:

मद सं. 1: 31 मार्च, 2014 को बैंक के तुलन पत्र 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा।

विशेष कारोबार:

मद संख्या 3: निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना:-

संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1980(अधिनियम), बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949(विनियमन अधिनियम), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स(शेयर एवं बँटक) विनियम,1988(बैंक विनियम), विदेशी विनियम प्रबंधन,1999(फेमा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2009 ("सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम), विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण एवं निर्गम)विनियम,2000,समय-समय पर संशोधनों के यथालागू प्रावधानों तथा भारत सरकार,भारतीय रिजर्व बैंक,भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(सेबी) द्वारा जारी नियम एवं विनियम,दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों और/अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण और यथालागू कानून, नियम एवं विनियम (फिलहाल उनमें हुए संशोधन अथवा प्रवर्तनों को शामिल करके)स्टॉक एक्सचेंज,जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए करारों, भारत सरकार और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(सेबी) के यथालागू एवं आवश्यक किसी अनुमोदन,सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति, भारत अथवा बाहरी देश तथा इस सम्बन्ध में जैसा भी आवश्यक हो के अधीन किसी प्राधिकरण के अनुमोदन,सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति अथवा निदेशक मण्डल (जिसे अबसे "बोर्ड" कहा गया है,जिस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति शामिल है) शेयरधारकों की सहमति आई.सी.डी.आर.विनियम के अध्याय VIII के अनुसार एतद् द्वारा बोर्ड को अर्हक संस्थागत संस्थापक द्वारा सेबी आई.सी.डी.आर.विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित तथा ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य एक या अधिक संस्थापकों के माध्यम से बोर्ड द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाये और लागू कानून एवं विनियमों में अनुमत होगा, चालू बाजार की स्थिति एवं अन्य संगत तथ्यों पर विचार करते हुए और जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधक/कों और/अथवा हामीदार और/अथवा सलाहकारों के परामर्श से ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर उन नियम एवं शर्तों पर, इस ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय निवेशकों की अन्य श्रेणियों को छोड़कर, जिन निवेशकों को ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाना है, उनकी श्रेणी निर्धारित करने के विवेकाधिकार सहित इस प्रकार प्रीमियम मूल्यों को शामिल करके कुल ₹ 500 करोड़ (रुपये पांच सौ करोड़ मात्र) की राशि जुटाने तक के शेयर निर्माण,प्रस्तुत,निर्गत एवं आबंटित करने की सहमति दी जाती है।"

यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी इक्विटी शेयर की रैंकिंग बैंक के लाभांश युक्त वर्तमान शेयरों के समरूप होगी और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के शेयर घोषित लाभांश के हकदार होंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी लागू शेयरों के मूल्य के निर्धारण की समुचित तिथि वह होगी, जिस पर बोर्ड प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लेता है, अथवा समय-समय पर सेबी आई.सी.डी.आर.विनियम के तहत अनुमत ऐसा कोई समय होगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों का आबंटन प्रस्तावित निर्गम को पारित करने वाले संकल्प की तिथि से 12 माह अथवा समय-समय पर सेबी आई.सी.डी.आर.विनियम के तहत अनुमत ऐसा कोई समय होगा सीमा में पूर्ण किया जाएगा।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक के निमित्त अधिकृत किया जाए, कि वह सभी कार्य, करार, कार्रवाई करे जिसमें मसौदे को तैयार करने और अनुमोदन देने के साथ-साथ निर्गम के प्रारूप और प्रक्रिया को निर्धारित करना, अंतिम ऑफर दस्तावेज हेतु निर्गम का फार्म एवं उसे जारी करने की प्रक्रिया तय करना, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित किए जाने हैं, आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य, शामिल होंगे, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हो और सभी प्रश्नों, कठिनाईयों अथवा संदेह, जो शेयरों के निर्गम,ऑफर अथवा आबंटन के समय प्रस्तुत हों और निर्गम प्राप्तियों का सदुपयोग, इसके सदस्यों की सहमति अथवा अनुमोदन की अपेक्षा किए बिना या अन्यथा, इस आशय से कि सदस्यों द्वारा इस संकल्प के माध्यम से अपना अनुमोदन अभिव्यक्त कर दिया गया है,जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हो।"

यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा अग्रणी प्रबंधकों/विधिक सलाहकारों, हामीदारों, बैंकों, परामर्शदाताओं को जरूरत के अनुसार काम पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और इस प्रकार के अभिकरणों को इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने और इससे संबंधित कार्यों में शामिल किया जाएगा और श्रमपूर्ति कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह के व्यय और वे ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन भी करेंगे और जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा निदेशकों कि समिति को गठित करने, निदेशकों की समिति/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अपनी सभी या कुछ शक्तियाँ प्रदत्त करने तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक (को) उपरोक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तथा ऐसे सभी कार्यों, प्रलेखों, मामलों तथा अन्य कार्यों को करने एवं ऐसे परिवर्तनों या संशोधनों को स्वीकार करने जो उचित और विधिवत हों, और इक्विटी शेयर के आबंटन के संबंध में किसी प्रश्न या कठिनाई निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देशों के सहित या रहित प्राधिकृत किया जाता है:

- आवश्यकता के अनुसार ड्राफ्ट को अनुमोदित करना/अंतिम रूप से प्रस्तावित दस्तावेजों को किसी अन्य प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष दायर करना।
- निर्गम मूल्य अनुमोदित करने, शेयरों के आबंटन की संख्या, आबंटन का आधार तय करने का आधार, और इक्विटी शेयरों के आबंटन की स्वीकृति।
- इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित सभी करारों, समझौतों तथा सभी वांछनीय दस्तावेजों, कार्यों एवं प्रपत्रों के निष्पादन एवं सुपुर्दगी की व्यवस्था एवं प्रबंध करना ,



- (iv) ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के संदर्भ में आवश्यक हों,
- (v) ऐसे सभी कार्यों, मामलों व अन्य कार्यों को करना तथा सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना और ऐसे सभी शुल्कों का भुगतान करना जो सम्पूर्ण विवेक में आवश्यक प्रतीत होते हों, और संव्यवहारों के प्रयोजन से वांछनीय हों
- (vi) उचित प्राधिकारियों से ऐसे सभी आवश्यक आवेदन करना तथा इस संबंध में नियामकीय पूर्ति के आवश्यक कार्य करना
- (vii) बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज (जो) को आवेदन देना जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: गुडगांव
दिनांक: 17.05.2014

सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुनराव
महाप्रबंधक

टिप्पणियां:-

स्पष्टीकरण वक्तव्य जिसमें बैठक कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, यहां संलग्न हैं।

मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के अनुच्छेद 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त के अध्यक्षीन, शेयर धारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक मत मिलेगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित हरेक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के नियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि प्रॉक्सी का फार्म 14, जून 2014 को कार्यसमय समाप्त होने से पहले कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त कर लिया जाए।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया हो, द्वारा सत्यापित कर प्रमाणित की गयी हो, 14 जून, 2014 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

लाभांश हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही 12 जून, 2014 से 19 जून, 2014 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

लाभांश का भुगतान

मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उसका भुगतान उन सदस्यों को, जिनके नाम 12 जुलाई, 2014 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे (डी मैट के जरिए) या जिन्होंने उस तिथि तक अंतरण हेतु अपने शेयर 11 जून, 2014 को या इससे पूर्व (मूर्त) जमा करा दिए होंगे।

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट बैंक द्वारा शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मै0 एमसीएस लिमिटेड के माध्यम से एनइसीएस अथवा अन्य अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 12, जुलाई 2014 को या इससे पूर्व भेज दिए जाएंगे या लाभांश राशि जमा करा दी जाएगी।

लाभांश वारंट में बैंक लेखे का विवरण/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)

सेबी द्वारा बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए लाभांश वारंट वितरित करते समय लाभांश वारंट में शेयरधारक द्वारा दिए गए बैंक खाते का विवरण देना तथा जहां भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सुविधा उपलब्ध हो, उसका उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शेयरधारकों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट एनईसीएस के माध्यम से किया जाता है। कुछेक केंद्रों में एनईसीएस सुविधा न होने पर और कुछ शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का लाभ न उठाए जाने की स्थिति में, बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण लाभांश वारंटों में प्रिंट कराएगा।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर मूर्त रूप में हों, वे अपने बैंक अधिदेश संबंधी विवरण बैंक के निवेशक सेवा विभाग अथवा हमारे शेयर अंतरण एजेंट

में 0 एमसीएस लिमिटेड, नई दिल्ली को रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करने हेतु भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास अमूर्त रूप में शेयर हैं, वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपनी निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् बैंक अथवा आईईटीएफ के लिए भुगतान हेतु कोई दावा नहीं रहेगा।

जिन शेयरधारकों को अभी तक लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कराने के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट एमसीएस लिमिटेड से संपर्क करें।

वर्ष 2006-07 (अंतिम) से संबन्धित ऐसे अप्रदत्त/अदावित लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में 20.07.2014 को अंतरित कर दिया जाएगा। सभी संबन्धित शेयरधारकों से 10.05.2014 को यह अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे गए हैं कि वे अपने दावे 19.07.2014 तक भेज दें (सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। यदि 19.07.2014 तक दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते का बकाया शेष को आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और तत्पश्चात् इस संबंध में शेयरधारकों के लिए कोई दावा शेष नहीं माना जाएगा।

आय स्रोत पर कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115-0 के अधीन शेयरधारकों की प्रदत्त लाभांश पर किसी प्रकार के कर की कटौती नहीं होगी।

लेखों से संबंधित सूचना

लेखों के संबंध में किसी प्रकार की सूचना चाहने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में वार्षिक आम बैठक से कम से कम सात दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक संबंधित सूचना तैयार रख सके।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची—सह—प्रवेश पत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक/प्रोक्सी धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची—सह—प्रवेश पत्र पर "प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि" लिखेंगे।

मद संख्या -3 से संबन्धित स्पष्टीकरण टिप्पणी

अहर्त संस्थागत संस्थापकों (क्यूआईपी) द्वारा पूंजी निर्गम

बैंक के आगामी विस्तार एवं स्रोतों के लिए पूंजी निवेश की निरंतर आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक अहर्त संस्थागत संस्थापकों के माध्यम से अहर्त संस्थागत क्रेताओं को शेयर जारी करने की सोच रहा है। ऐसा निर्गम सेबी (आईसीडीआर) के विनियमों के प्राधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा।

प्रस्ताव है कि ₹500 करोड़ (पाँच सौ करोड़ मात्र) का निर्गम अहर्त संस्थागत संस्थापकों के माध्यम से अहर्त संस्थागत क्रेताओं को किया जाए। संकल्प को, बोर्ड संकल्प के पारित होने से एक वर्ष के भीतर एक ऐसे समय जब बैंक का हित हो, पूंजी को एकत्रित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार एकत्रित पूंजी को बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा सामान्य कारोबार की जरूरतों में सुधार लाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

इक्विटी शेयरों को निर्गत करने से संबन्धित विस्तृत नियम व शर्तों को उचित समय पर बोर्ड द्वारा मर्चेन्ट बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, परामर्शदाताओं तथा इस प्रकार के अन्य प्राधिकारियों के साथ वार्ता करके या बाजार के हालातों को देखते हुए बैंक जैसा भी विचार करे तथा अन्य कारकों के देखते हुए निर्धारित किया जाएगा। यह विशेष संकल्प बोर्ड को ऐसे समय पर और ऐसी कीमत पर तथा ऐसे निवेशकों को जो बोर्ड के सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित हो दो ट्रेंचों में एक्विटी शेयर का निर्गम जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सूचना कि मद में दिए गए वर्णन के अनुसार आपके निदेशकों द्वारा इस विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की गई है। बैंक का कोई भी निदेशक बैठक की इस मद का हित या रुचि साधक नहीं है।

मौजूदा कारोबारी अवसरों को सक्रिय रूप से लीवरेज करने की दृष्टि से तथा उचित नियामक पूंजीगत स्तरों को बनाए रखने के लिए, बैंक ने प्रस्ताव किया है कि अहर्त संस्थागत संस्थापक के साथ अहर्त संस्थागत क्रेताओं का साथ लिया जाए। इस प्रकार जुटाई गई पूंजी को पूंजी पर्याप्तता तथा बैंक के सामान्य कारोबार में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। यह निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के प्राधानों के अनुरूप किया जाएगा।

प्रस्तावित विशेष संकल्प के अनुसार निदेशक मण्डल (बोर्ड) में बैंक के सदस्यों को यह प्राधिकार हो कि सदस्यों से अन्य किसी अनुमोदन के सेबी के अध्याय VIII के प्राधानों (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसार अहर्त संस्थागत संस्थापकों ("क्यूआईपी") के साथ अहर्त संस्थागत क्रेताओं ("क्यूआईबी") का साथ लिया जा सके।

बैंक का निदेशक मण्डल इस विचार का है कि बैंक के शेयरों के प्रति अहर्त संस्थागत संस्थापकों(क्यूआईपी) कम समय लेते हैं और यह मितव्ययी भी है।

तदनुसार, आपके बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के अध्याय VIII के प्राधानों (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2009 के अनुसार ("क्यूआईपी") के माध्यम से ₹500 (पाँच सौ करोड़ मात्र) तक कि राशि को जुटाने के लिए शेयर जारी करने का प्रस्ताव किया है। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन शेयरों को केवल अहर्त संस्थागत क्रेताओं को ही आवंटित किया जाएगा और खुदरा वैयक्तिक निवेशकों तथा वर्तमान खुदरा शेयरधारकों के लिए इसे जारी नहीं किया जाएगा। सभी संबंधितों से परामर्श करके विशिष्ट आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर इस निर्गम का समय, अनुपात तथा सही मूल्य बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। अतएव, इस प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड को निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श हेतु सम्पूर्ण विवेकाधिकार दिए जाने की आवश्यकता है।

बोर्ड द्वारा कथित क्यूआईपी भारतीय प्रतिभूति प्रातिभूत एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VIII के प्राधानों के अधीन होगा जिसमें इसकी कीमत शामिल है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर ससंगत तिथि से पूर्वगामी दो सप्ताह पहले कोट किए गए संबन्धित शेयरों के सप्ताहिक अधिकतम तथा न्यूनतम के औसत से कम नहीं होगी। क्यूआईपी निर्गम हेतु व्यवहारिक कीमत के निर्धारण की ससंगत तिथि को बैंक बोर्ड की बैठक तिथि को माना जाएगा जिसमें प्रस्तावित निर्गम पर निर्णय होना है। उपरोक्त कारणों से एक उचित लोचपूर्ण, विवेकशील तथा समर्थकारी संकल्प का प्रस्ताव पारित किया जाना है ताकि बोर्ड निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके। प्रस्ताव के अनुवर्तन में निर्गत शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार, क्यूआईपी निर्गम हेतु शेयरधारकों की ओर से विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है, विशेष संकल्प की वैधता 12 महीनों की होती है और उक्त संकल्प के प्राधिकार में इससे पूर्व आर्बटन कार्य पूर्ण किया जाना है।



प्रस्तावित प्रस्ताव बैंक के हित में है और निदेशक अनुसंशा करते हैं कि इस मद के अंतर्गत इस संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाए। कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से संकल्प से संबन्धित तथा इसका हित साधक नहीं है।

अन्य जानकारियाँ

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए शेयरधारक कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर आरटीए को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिओरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स एमसीएस लिमिटेड को भेजें।
- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास ई-मेल आई.डी. पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि ई-मेल द्वारा भेज सकें, ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर (डीमैट) अमूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ई-मेल आई.डी. संबंधित नि सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- बैंक की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/डिपोजीटरी सहभागियों के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको, उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म बैंक की 20वीं सामान्य बैठक का नोटिस की भौतिक प्रति जिसमें ई-वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।
- सदस्य कृपया नोट करें कि 20वीं सामान्य बैठक का नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2014 बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर डाऊनलोड हेतु उपलब्ध है। इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबारी समय के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी। ई-रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य भौतिक रूप में इन सूचनाओं को डाक द्वारा निशुल्क पाने के हकदार हैं लेकिन इसके लिए उनको अनुरोध करना होगा। किसी भी जानकारी के लिए शेयरधारक अपना अनुरोध बैंक की इन्वेस्टर ई-मेल आईडी: mbd@obc.co.in पर भेज सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

सूचीबद्ध समझौते के खंड 35बी के अनुपालन में बैंक ने 20वें सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) में सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से व्यवसायिक संव्यवहार की सेवा मुहैया कराई है।

ई-वोटिंग के लिए निम्नवर्णित निर्देश हैं:-

ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग इन

- इंटरनेट ब्राउजर का शुभारंभ करें तथा एड्रेस बार में निम्नलिखित यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करें तथा 'एन्टर' दबाएं। होम स्क्रीन प्रदर्शित होने के बाद होमपेज में ही शेयरहोल्डर आईकॉन पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से 'ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स' के साथ 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिक्वेस नंबर' (ईवीएसएन) का चयन करें तथा सबमिट बटन दबाएं।
- उपर्युक्त बॉक्स में निम्नलिखित विवरण के साथ लॉगइन करें:

- (i) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य
प्रयोक्ता आईडी -16 अंकों का बेनिफिसियल ऑनर आईडी
पासवर्ड- अग्रेषित इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में एजीएम नोटिस/ई-मेल पर विशिष्ट पासवर्ड मुद्रित है। तथापि, जिन सदस्यों को एन.एस.डी.एल के द्वारा पहले पासवर्ड आवंटित किया जा चुका है और इसे बदल कर प्रयोग कर सकते हैं। यदि वे अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो वे 'फॉरवर्ड पासवर्ड' पर जाकर आगे जा सकते हैं।
पैन- आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों की अल्फन्यूमैरिक स्थायी खाता संख्या को एंटर करें।
- (ii) मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य
प्रयोक्ता आईडी- सदस्य बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या।
पासवर्ड - अग्रेषित इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में एजीएम नोटिस/ई-मेल पर मुद्रित विशिष्ट पासवर्ड।
पैन- आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों की अल्फन्यूमैरिक स्थायी खाता संख्या को एंटर करें अथवा यदि पैन को बैंक के अपडेट नहीं किया गया है तो बैंक/आरटीए के साथ डीमैट में दी गई डिफॉल्ट संख्या एंटर करें।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया

- क). प्रयोक्ता आईडी, पासवर्ड, पैन अथवा डिफॉल्ट नंबर में विवरण लॉगइन करने के बाद, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तथा अमूर्त के रूप में शेयर रखने वाले (जिन्होंने पहले अपना पासवर्ड बदला हो) वे वोटिंग स्क्रीन पर सीधे जा सकते हैं।
- ख). अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले, जो पहली बार लॉग इन कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड कॉलम में जाकर अपना पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है तथा उन्हें अपना जनसांख्यिकी विवरण यथा, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या और ई-मेल आईडी भरने का विकल्प देना होगा। शेयरधारकों

को परामर्श दिया जाता है कि वे अपना नया पासवर्ड याद कर लें। नए पासवर्ड का उपयोग भविष्य में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अथवा भारत के किसी अन्य बैंक/कंपनी की ई-वोटिंग संकल्प (ओं) में किया जा सकता है।

- ग) यदि सदस्य चाहे तो संपूर्ण नोटिस के लिए रिजोल्यूशन फाइल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
- घ). संकल्प शीर्ष के प्रत्येक खंड में, शेयरों की संख्या एंटर करें (जो वोट की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है), यदि सदस्य चाहे तो वे मतदान हां/ना कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कुल शेयरधारिता से ज्यादा नहीं होगी।
- ङ). वोटिंग के लिए उपलब्ध संकल्प का चयन करें तथा ('हां'/'ना') का चयन कर मतदान करें अथवा कोई भी उपर्युक्त विकल्प जैसा उपलब्ध है। विकल्प 'हां' संकल्प से स्वीकृति दर्शाता है तथा 'नहीं' संकल्प से अस्वीकृति दर्शाता है।
- च) विवरण की जांच करें तथा सबमिट बटन दबाएं। ई-वोटिंग की समाप्ति के बाद, एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि सदस्य चाहे तो वे अपने वोट की पुष्टि 'ओके' क्लिक कर सकते हैं, या अपना वोट बदलने के लिए 'कैंसिल' क्लिक कर सकते हैं और तदनुसार वे अपना वोट संशोधित कर सकते हैं। संकल्प पर एक बार सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, उसे बदलने अथवा संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी

- (i) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि 14 जून, 2014 (प्रातः 09:00) शुरू होगी तथा 15 जून, 2014 को (शाम 06:00) बजे समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा वोटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर धारी हो या अमूर्त रूप में वे 16 मई, 2014 तक (रिकार्ड तिथि) तक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकते हैं।
- (ii) शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार उनके द्वारा अंतिम तारीख (रिकार्ड तारीख) 16 मई, 2014 को बैंक को भुगतान किए गए ईक्विटी शेयर पूंजी के समानुपात में होगा।
- (iii) सदस्य अपना वोट अलग से वार्षिक सामान्य बैठक में प्रत्येक व्यवसायिक संव्यवहार के लिए अपना वोट डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, सदस्य अपना वोट कुछ संकल्प के पक्ष में डाल सकते हैं तथा कुछ संकल्प के विरुद्ध में अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्य कुछ संकल्प पर अपना वोट नहीं भी डालने का विकल्प चुन सकते हैं।
- (iv) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, उस वोट को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) वैसे सदस्य जिनके पास बैंक का पंजीकृत ई-मेल पता है, उन्हें लॉगइन आईडी/प्रयोक्ता आई डी और पासवर्ड विवरण पंजीकृत ई-मेल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (vi) सदस्य संकल्पों पर वोटिंग करने तक कितनी ही बार लॉग इन कर वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा वोटिंग अवधि की समाप्ति तक (जैसे, ई-वोटिंग पावती की अंतिम तिथि तक), जो भी पहले हो।
- (vii) संयुक्त खाताधारकों के मामले में, लॉगइन आईडी/ प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्रथम धारक के पते पर भेजा जाएगा। तदनुसार, संयुक्त खाता धारकों की तरफ से वोटिंग के मामले में उसकी वोट को मान्यता दी जाएगी, जो प्रथम धारक है। ऐसे ही एन.एस.डी.एल के माध्यम से वोट करने वाले सभी संयुक्त खाताधारकों के मामले में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रथम धारक से पर्याय है जिसका नाम संयुक्त शेयरधारकों की तरफ से सबसे पहले पंजीकृत है।
- (viii) संस्थागत शेयरधारक (जैसे, वैयक्तिक के अतिरिक्त, एच.यू.एफ., एन.आर.आई इत्यादि) जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी पत्र इत्यादि स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) के साथ अपने सत्यापित नमूना, हस्ताक्षर के साथ जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से विधिवत अधिकृत हो वे अंकेक्षक के माध्यम से ई-मेल abhishek@indiacp.com, तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in को प्रेषित करें। विषयगत दस्तावेज की प्रति को 'सदस्य' का नाम (ईवीएसएन) यथा, शेयरधारक बैंक एक्सवाईजेड लिमिटेड, के नमूने के अनुसार नामांकित करें। दस्तावेज को वोट डालने के तुरंत बाद या पहले भेजें। तथापि, यदि ऐसी प्रति अंकेक्षक एनएसडीएल के पास नहीं पहुंच पाती है तो ऐसी वोटिंग को रद्द माना जाएगा। यदि एन.एस.डी.एल के साथ सदस्य पहले ही पंजीकृत हैं, तो वह अपना मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड को वोटिंग के लिए प्रयोग कर सकता है। सदस्य वोटिंग के लिए एकमात्र एक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे भौतिक रूप में अथवा ई-वोटिंग।
- (ix) यदि सदस्य एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो वह अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड को वोट देने के लिए प्रयोग कर सकता है।
- (x) यदि कोई सदस्यों के पास वोट देने का एक ही विकल्प है, या तो वह भौतिक रूप से मतदान करें या ई-वोटिंग करें यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है, तो वह फिर भौतिक मतदान नहीं कर सकेगा। यद्यपि कोई सदस्य भौतिक रूप से या ई-वोटिंग द्वारा वोट करता है तो ऐसी स्थिति में ई-वोटिंग द्वारा दिया गया मत मान्य होगा और भौतिक मतदान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा या नजरअंदाज किया जायेगा। यदि सदस्य ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है, तो वह भौतिक रूप से मतदान नहीं कर सकता है और इसके विपरीत भी यही लागू है। तथापि, ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना वोट दोनों भौतिक माध्यम तथा ई-वोटिंग माध्यमों द्वारा डाला है, तो भौतिक रूप से डाले गए वोट को वैध माना जाएगा तथा ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (xi) श्री अभिषेक बंसल, अधिवक्ता (बार काउंसिल पंजीकरण सं. डी / 2726 / 2008) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विरुद्ध में डाले गए वोट की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि समाप्ति के चालू होने के पश्चात तीन व्यावसायिक दिवसों के भीतर अध्यक्ष, वार्षिक सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर वार्षिक सामान्य बैठक के संकल्प के दो व्यावसायिक कार्य दिवस के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा। पर्याप्त वोट की प्राप्ति के अधीन, संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित किया जाएगा।
- (xii) वार्षिक सामान्य बैठक के संकल्प का निर्णय तथा घोषित परिणामों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर दो कारोबार दिवस के भीतर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (xiii) बहुमत प्राप्त होने पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख पर पारित माना जायेगा।
- (xiv) बैठक की सूचना वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी प्रदर्शित है।
- (xv) शेयरधारकों की किसी भी जानकारी के लिए "प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफ.ए.क्यू) हेतु प्रयोक्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्सन में उपलब्ध है।
- (xvi) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए प्रयोक्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

दिनांक: 19 जून, 2014, समय: प्रातः 10:00 बजे

स्थान: पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा किया जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी)	फोलियो/डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या

शेयरधारक / प्रॉक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रवेश पत्र

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी)	फोलियो/डीपी आई डी/ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पर्ची को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। तथापि, प्रवेश यथा आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जांच के अध्वधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पर्ची की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुनश्च: बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32,
 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

**फॉर्म (बी)
 प्रॉक्सी फॉर्म**

पंजीकृत फोलियो सं.
(यदि अमूर्तिकृत न हो)
डीपी आई डी संख्या
ग्राहक आईडी संख्या.
(यदि अमूर्तिकृत न हो)

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम, _____ राज्य
 के _____ जिले में _____ का/के निवासी
 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा _____ राज्य के _____ जिले
 के श्री/श्रीमती _____ को अथवा उनके उपस्थित ना हो सकेने पर _____ राज्य के _____
 जिले के _____ श्री/श्रीमती _____ को 19 जून, 2014 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
 पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की सामान्य बैठक में तथा इसके अधिस्थगन

में मेरी/ हमारी ओर से मेरे हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

कृपया ₹ 1/- का
राजस्व टिकट
चिपकाएं

_____दिन के _____ 2014 को हस्ताक्षरित।

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि
 - क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखत रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, सदस्य रजिस्ट्रार में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 - ग. किसी कॉर्पोरेट निकाय के मामले में, सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिसमें शेयरधारक के अंगूठे का निशान है वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 - ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति वार्षिक सामान्य बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 14 जून, 2014 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् दोपहर 2.00 बजे (अपरान्ह) तक या उसके पहले बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001 में जमा किया जाना चाहिए।
4. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत स्टॉप न लगाया गया हो।
5. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय तथा अंतिम होगी।
6. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
8. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
9. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक यह फॉर्म 9बी में न हो।



NOTICE

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 19th June 2014 at 10.00 a.m at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2014, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare final dividend on equity shares for the financial year 2013-2014.

Item No. 3: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (“the Act”), Banking Regulations Act, 1949 (“the Regulation Act”), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank’s Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (“FEMA”), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“SEBI ICDR Regulations”), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (“GOI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of Central Government and/or RBI and/or SEBI as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities as may be required in this regard, within or outside India, and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement (QIP) in terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers (QIB) as defined under Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are existing members of the Bank, through one or more placements, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, to raise an amount not exceeding ₹ 500 crore (Rupees Five Hundred Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank pari passu in all respect with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the relevant date for determination of applicable price of Equity Shares for the QIP shall be the date of the meeting at which the Board decides to open the proposed issue of Equity Shares, or such other time as may be permitted under SEBI ICDR Regulations from time to time;”

“RESOLVED FURTHER THAT the allotment of Equity Shares shall be completed within 12 months from the date of this resolution approving the proposed issue or such other time as may be permitted under SEBI ICDR Regulations from time to time.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized on behalf of the Bank to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem necessary or desirable without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Chairman and Managing Director and in his absence Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- (i) Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;



- (ii) Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Shares;
- (iii) Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- (iv) Opening such bank accounts as may be required for the offering;
- (v) To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- (vi) To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- (vii) Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed

By the order of the Board

Place: Gurgaon
Date: 17.05.2014

CH.S.S.MALLIKARJUNARAO
General Manager

NOTES:-

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The proxy form in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank on 14th June, 2014.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank on 14th June, 2014.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

5. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books will remain closed from 12th June 2014 to 19th June 2014 (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as proposed by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on 12th July 2014 to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members on 11th June 2014 (through demat) or have submitted shares for transfer (physical) by that date.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or dividend amount will be credited through NECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s MCS Limited, on 12th July 2014.

7. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) facility wherever available. Direct credit to the bank account of the shareholder is done through NECS as specified by the Reserve Bank of India. In the



absence of NECS facility at certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with it in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or to our Share Transfer Agent M/s MCS Ltd., New Delhi, for necessary updating of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participant for necessary action in this connection.

8. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The shareholders who have not received or claimed the dividend till now are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank, MCS Ltd. for issue of duplicate dividend warrant. The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2006-07 (Final) lying with the Bank shall be transferred to Investor Education and Protection Fund on 20.07.2014 as per Govt. of India guidelines. Reminder letters dated 10.05.2014 have been sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 19.07.2014 (list available on Bank's website). If not claimed by 19.07.2014, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect thereof shall be available to the shareholders.

9. DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

Under Section 115-O of the Income Tax Act, 1961, no tax will be deducted at source in respect of dividend paid to the shareholders.

10. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information with regard to accounts are requested to write to the Bank at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready

11. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO. 3

Capital Issue by Qualified Institutional Placement (QIP)

As a proactive move to leverage on the available business opportunities and for maintaining appropriate regulatory capitalization levels, the Bank proposes to undertake the Qualified Institutional Placement with the Qualified Institutional Buyers. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. The issue would be made in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Members, to undertake the Qualified Institutional Placement ("QIP") with the Qualified Institutional Buyers ("QIB"), in accordance with the provisions of Chapter VIII of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

The Board of Directors of the Bank is of the considered view that a Qualified Institutional Placement (QIP) of the shares of your Bank would be less time consuming and more economical.

Accordingly, your Bank proposes to make a further issue of shares to raise an amount not exceeding ₹ 500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only) by way of a QIP in terms of Chapter VIII of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009. These shares will be allotted only to Qualified Institutional Buyers (QIB's) as per the Guidelines issued and there will be no issue to retail individual investors and existing retail shareholders. The exact price, proportion and timing of the issue will be decided by the Board based on an analysis of the specific requirements after consulting all concerned. Therefore the proposal seeks to confer upon Board the absolute discretion to determine the terms of issue in consultation with the Lead Managers to the Issue.

The said QIP by the Board shall be subject to the provisions of Chapter VIII of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 including the pricing, which will not be less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the related shares quoted on the stock exchanges during the two weeks preceding the Relevant Date. The Relevant Date for the determination of applicable price for the issue of the QIP shall be the date of the meeting in which the Board of the Bank decide to open the proposed issue. For the reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges.

In accordance with the Guidelines, special resolution of shareholders is required for a QIP Issue. The special resolution has a validity period of 12 months before which allotments under the authority of said resolution should be completed.

The proposed offer is in the interests of the Bank and the Directors recommend the passing of the resolution under this item as a special resolution.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in this resolution.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to the RTA in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, M/s. MCS Ltd. for consolidation into single folio.
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with us or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Notice of the 20th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 20th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that the Notice of the 20th Annual General Meeting and the Annual Report for 2013-14 will also be available on the Bank's website www.obcindia.co.in for their download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Corporate Office in Gurgaon for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same, by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's investor email id: mbd@obc.co.in

Voting Through Electronic Means

In compliance with Clause 35B of Listing Agreement, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote at the 20th Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The instructions for e-voting are as under:

Login to E-Voting Website

- Launch the Internet Browser and type the following URL in the address bar <https://www.evoting.nsdl.com/> and click on "Enter". The Home screen will be displayed then click on shareholders icon in the homepage.
- Select the "Electronic Voting Sequence Number" (EVSN*) along with "Oriental Bank of Commerce" from the drop down menu and click "SUBMIT".
- Login with the following details in the appropriate boxes:
 - i. For Members holding shares in Demat Form
User ID- 16 digits Beneficial Owner ID.
Password- The unique Password has been printed on the AGM notices/e-mail forwarding electronic notice. However, the members who have been allotted their Password earlier by NSDL and have changed it, may use the same. In case they do not remember such Password, they may go to the option "Forget Password" and proceed.
PAN- Enter your 10 digit alphanumeric Permanent Account Number issued by Income Tax Department.
 - ii. For Members holding shares in Physical Form
User ID- Registered Folio Number of the member with the Bank.
Password- The unique Password has been printed on the AGM notices/e-mail forwarding electronic notice.
PAN- Enter your 10 digit alphanumeric Permanent Account Number issued by Income Tax Department or Enter the Default Number in case the PAN is not updated with the Bank/RTA or in the Demat Account.

Process of Electronic Voting

- (a) After logging in the details of "User id, Password, PAN or Default Number", the Members holding shares in physical form & Members holding shares in demat form (who had changed their password in the past) will reach directly to the voting screen.
- (b) Shareholders holding shares in demat, who log in for first time, will be required to mandatorily change their password in the new



password field and will also have option to enter their demographic details i.e. date of birth, mobile number and e-mail id. The shareholders are advised to remember the new password. The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Oriental Bank of Commerce or any other Bank/ Company in India

- (c) Click on the Resolution File Link if the member wishes to view the complete Notice.
- (d) Enter the number of shares (which represents no. of votes) under each of the headings of the resolution, if member want to vote YES/ NO, but not exceeding your total holding.
- (e) Select the resolution available for voting and cast your vote by choosing the ("YES"/ "NO") or any other appropriate option as may be available. Option 'YES' implies assent to the resolution and 'NO' implies dissent to the resolution.
- (f) Check the details and click 'SUBMIT'. On completion of e-voting, a confirmation box will appear. If member wish to confirm his vote, click 'OK', else to change his vote, click 'CANCEL' and accordingly modify the vote. Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change or modify it subsequently;

NOTES

- (i) The electronic voting period commences on 14th June, 2014 (9:00 am) and ends on 15th June, 2014 (6:00 pm). The electronic voting facility will be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period the shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 16th May, 2014, may cast their vote electronically.
- (ii) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date (record date) of 16th May, 2014;
- (iii) Members may cast their votes separately for each business to be transacted in the Annual General Meeting. For example, a member may cast his vote in favour of some resolution and may cast not in favour/ against some resolution. A member may also elect not to vote on some resolution;
- (iv) Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change or modify it subsequently;
- (v) Every member having a registered email address with the Bank shall be provided with the Login ID/User ID and password details at the registered email address;
- (vi) Member can log in any number of times till he has voted on all the resolutions or till the end of the voting period (i.e. till the last date of receipt of e-votes), whichever is earlier.
- (vii) In case of joint holders, Login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote casted using the User ID and password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders, as the shareholder who casts the vote through the e-Voting services of NSDL is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of the shares, whose name is first registered against the shares held;
- (viii) Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail on abhishek@indiacp.com, with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. The file containing the said documents should be named as "Member's name_(EVSN)", e.g., in case of shareholder Bank XYZ Ltd., the file containing the authorization documents should be named as "XYZ Ltd._(EVSN)". The documents can be sent before/ immediately after casting the vote. However, in case the same do not reach Scrutinizer/ NDSL before closure of voting, the vote so exercised will be rejected in the system.
- (ix) In case the member is already registered with NSDL, he can use his existing User ID and Password for casting his vote.
- (x) Members can opt only one mode for voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. If member opts for e-voting, then he does not vote by Physical Ballot also and vice versa. However, in case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored.
- (xi) Mr. Abhishek Bansal, Advocate (Bar Council Registration No. D/2726/2008) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 business days from the date of conclusion of the electronic voting period;
- (xii) The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of NSDL within 2 business days of the decision on the resolution at the Annual General Meeting;
- (xiii) Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;
- (xiv) Notice of the meeting is also displayed at www.obcindia.co.in
- (xv) In case, of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsd.com
- (xvi) User Manual for electronic voting is available at www.evoting.nsd.com



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001
 Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon – 122001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING

Date : 19TH June, 2014, Time :10.00 A.M.

Place : PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

 Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

ENTRY PASS

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S.: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Corporate Office:-Plot No.5, Sector-32,
 Institutional Area, Gurgaon-122001

Regd. Folio No.
(If not Dematerialised)
DPID No.....
Client ID No.....
(If Dematerialised)

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We, _____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 19th June 2014, at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2,



Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi and at any adjournment thereof.

Please affix
Rupee 1 revenue
stamp

Signed this _____ day of _____ 2014.

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 - a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
 - b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
 - c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce.
3. The proxy together with
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Corporate Office of the Bank at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon– 122001, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **2.00 p.m. of Saturday, 14th June, 2014.**
4. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.
9. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".